न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर (राज)

पीठासीन अधिकारी : जावेद अली RAS

मुकदमा न- 1/175 तारीख रुजू : 5-11-19

उनवान :-

घनश्याम पुत्र हरिकिशन जाट नि. ग्राम हल्दीना तह. मालाखेड़ा जिला अलवर (राजस्थान) — वादी -

बनाम

1. केशवाराम पुत्र प्रभाती जाति माली
2. हरीराम पुत्र प्रभाती जाति माली
3. मनोहर पुत्र प्रभाती जाति माली
4. शिम्भू पुत्र प्रभाती जाति माली
5. रामजीलाल पुत्र प्रभाती जाति माली
6. जगदीश पुत्र प्रभाती जाति माली
7. मंगी पुत्री प्रभाती जाति माली
8. गोविन्दी पुत्री प्रभाती जाति माली
9. फुलवती पुत्री प्रभाती जाति माली निवासीयान ग्राम हल्दीना तह. मालाखेड़ा जिला अलवर (राज)

10 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

— प्रतिवादीगण -

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर
अलवर

राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट: हल्दीना

निर्णय

19-5-17

आज पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट हल्दीना में पेश हुई। वादी ने एक दावा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख॰ नं॰ हाल 922/0·61, 923/0·01, 924/0·51, 925/0·51, वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर जो वाद ग्रस्त आराजी हैं। आराजी साबिक ख॰ नं॰ 885, 886, 884 जिसके सम्वत 2020 मे ख॰ न॰ 974 मि, शामिल 922 एवं सम्वत 2051 में हाल ख॰ न॰ 922 रकबा 61 एयर, 923 रकबा 0·01, 925 रकबा 0·51 एयर वाके ग्राम हल्दीना के कायम हुए। जो आराजी पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता के कब्जे काश्त की आराजी थी। इसी प्रकार मिन वादी के पिता श्री हरिकिशन साबिक ख॰ न॰ 339 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके सम्वत 2051 मे हाल खसरा नम्बर 881, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 3345, 3363 कुल किता 9 कुल रकबा 2·10 हैक्टर वाके ग्राम हल्दीना तह॰ मालाखेड़ा के खातेदार काश्तकार थे वादी स्वंम प्रतिवादीगण के पिता ने अपनी अपनी सुविधानुसार उक्त आराजी का तबादलानामा दिनांक 01-02 67 को सब रजिस्ट्रार मालाखेड़ा द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। उक्त तबादला नामा के अनुसार मिन वादी के पिता को खसरा नम्बर 922 रकबा 61 एयर, 923 रकबा 1 एयर, 924 रकबा 51 एयर, 925 रकबा 0·51 एयर वाके ग्राम हल्दीना तह॰ मालाखेड़ा जिला अलवर को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार बाद तबादला से मिन वादी अपने पिता के फुट स्टेप पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 2089, 2090, 2091, 2092 2093, 2094, 3345, 3363 पर बाद तबादला अपने पिता के फुट स्टेप पर काबिज चले आ रहे है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभीतक पूर्व वाले

सहायक कलक्टर

इन्द्राज चले आ रहे है। मिन वादी उक्त इन्द्राज को कलमजन कर मुताबिक तबादलानामा अपने नाम का इन्द्राज कराने का अधिकारी है।और विवादित आराजी का वादी अपने आपको खातेदार कारतकार घोषित कराने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण एवं वादी ने प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण की फोटो एवंम पहचान कार्ड की फोटो प्रति पेश कर निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी तौर पर राजीनामा हो गया, विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 922/0.61, 923/0.01 गैं·मु· चाह, 924/0.51, 925/0.51, किता 4 रकबा 1-64 हैक्टेयर ग्राम हल्दीना तह· मालाखेड़ा जो प्रतिवादी सं· 1 लगायत 10 के नाम खातेदारी मे दर्ज है, जो आराजी तबादले में वादी को प्राप्त हुई थी जो रजिस्टर्ड तबादलानामा दिनांक 01-02-1967 को हुआ था वो वादी के नाम खातेदार कारतकार घोषित फरमाया जावे।

आराजी हाल खसरा नम्बर 2089/0.09, 2090/0.21, 2091/0.15 2092/0.26, 2093/0.37, 2094/0.41, 3345/0.36 3363/0.01 कुल किता 08 रकबा 1.86 एयर वाके ग्राम हल्दीना तह· मालाखेड़ा जो कि वादी घनश्याम के नाम खातेदारी में दर्ज है वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को तबादले मे मिली थी उसे प्रतिवादी सं· 1 लगायत 10 के नाम खातेदार कारतकार घोषित फरमाया जावे।

वादी ने केम्प कोर्ट हल्दीना में एक प्रा· पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या-1 रमको का स्वर्गवास दिनांक 10-10-2016 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 रमको के जायज एवम कानूनी वारिसान उक्त वाद में पूर्व से ही पक्षकार हैं। प्रतिवादिनी सं· 1 का नाम उक्त वाद मे से डिलीट फरमाये जाने की कृपा करे।

वाद प्रकरण मे प्रतिवादी नं· 1 के वारिसान सं· 2 से 10 पूर्व मे ही नाम दर्ज है।अतः प्रतिवादी नं· 1 का वाद मे से नाम डिलीट किया जाता है।

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट हल्दीना में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उप० होकर राजीनामा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा मौके पर कब्जा अनुसार भूमि का तबादलानामा 1967 में पंजीकृत करवा लिया था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे अमल नही होने के कारण आपसी विवाद चल रहा था। परन्तु केम्प मे दोनो पक्षकारों द्वारा आपसी राजीनामा से प्रकरण मे तबादलानामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अत: राजीनामा प्रा० पत्र के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम हल्दीना तह० मालाखेडा जिला अलवर के हाल खसरा नम्बर 922 रकबा 61 एयर, 923 रकबा 1 एयर गै०मु० राह 924 रकबा 51 एयर, 925 रकबा 51 एयर किता 04 रकबा 1-64 हैक्टेयर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आराजी हाल ख०न० 2089 रकबा 0.09 एयर, 2090 रकबा 21 एयर 2091 रकबा 15 एयर 2092 रकबा 41 एयर, 2093 रकबा 37 एयर 2094 रकबा 41 एयर 3345 रकबा 36 एयर, 3363 रकबा 01 एयर कुल किता 08 रकबा 1-86 एयर वाके ग्राम हल्दीना तह० मालाखेडा जिला अलवर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तद्दानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय केम्प कोर्ट हल्दीना मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

सहायक कलक्टर
अलवर